तृतीय माला खंड 38 अंक 1 बुधवार, 17 फरवरी, 1965 /28 माघ, 1886 (शक)
Third Series, Vol XXXVIII No. 1 Wednesday, Feb. 17, 1965/Magha 28, 1886 (Saka)

PAR 340
DATE 21.6.65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

Eleventh Session

ग्यारहवां सत्र

सत्यमेव जयते

Preservation ... Parliament Library
27-5-92
Fumigated
On 26.12.83

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

366(Ai)LSD---I

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड 38—ग्यारहवां सत्र, 1965]

संख्या 1—बुधवार, 17 फरवरी, 1965/28 माघ, 1886 (शक)

	पृष्ठ
सदस्यों तथा मंत्रिमण्डल के मंत्रियों आदि की सूची	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . .	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1–2
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . .	2
स्थगन प्रस्तावों के बारे में—	
प्रक्रिया	2–3
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	3–4
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	4–5
प्रेस परिषद् विधेयक—	
1. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	5–6
2. संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	6
विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य	6–8
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	6–8
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में	9
सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक—पुरःस्थापित . .	9

CONTENTS

[*Third Series, Vol. XXXVIII—Eleventh Session, 1965*]

No. 1—*Wednesday, February* 17, 1965/*Magha* 28, 1886 (*Saka*)

List of Members, Cabinet Ministers etc.	PAGES
Member sworn	1
Obituary references	1—2
President's Address—laid on the Table . . .	2
Re : Motions for Adjournment Procedure . . .	2—3
President's assent to Bills	3—4
Papers laid on the Table . . .	4—5
Press Council Bill .	
1. Report of Joint Committee ; and . .	5—6
2. Evidence before Joint Committee . .	6
Statement *re* : foreign exchange situation	6—8
Shri T. T. Krishnamachari	6—8
Re : President's Address	9
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill—introduced.	9

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 17 फरवरी, 1965 / 28 माघ, 1886 (शक)

Wednesday, February 17, 1965/Magha 28, 1886 (Saka)

लोक-सभा सवा बारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at fifteen minutes past twelve of the Clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*}

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उस सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अन्तर्गत शपथ ग्रहण करने अथवा प्रतिज्ञान के लिए आये हैं।

सचिव : श्रीमती गोपिकाताई मारतराव कन्नमवार।

अध्यक्ष महोदय : संसद् कार्य मंत्री सदस्या का परिचय सभा से करायें।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमन्, मुझे श्रीमती गोपिकाताई मारतराव कन्नमवार का परिचय आप से और आप के द्वारा सभा से कराने में हर्ष है। वह श्री लाल श्यामशाह के त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान पर महाराष्ट्र के चांदा निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिए निर्वाचित हुई है।

श्रीमती गोपिकाताई मारतराव कन्नमवार (चांदा)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह दुःखद सूचना देनी है कि हमारे तीन मित्रों, श्री इ० मधुसूदन राव, श्री बद्रीदत्त पांडे और सरदार प्रताप सिंह कैरों का निधन हो गया है।

श्री इ० मधुसूदन आंध्र प्रदेश के महबूबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से इस लोक-सभा तथा दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे। उनका निधन 29 दिसम्बर, 1964 को वारंगल में 47 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री बद्री दत्त पांडे केन्द्रीय विधान सभा के 1937–45 तक सदस्य रहे और पहली लोक सभा के 1955 से 1959 तक सदस्य रहे। उनका निधन 83 वर्ष की आयु में 13 जनवरी, 1965 को अल्मोड़ा में हुआ।

सरदार प्रताप सिंह कैरों 1946–47 में संविधान सभा के सदस्य थे। उनकी हत्या 6 फरवरी, 1965 को हुई, जब वह एक कार में दिल्ली से अपने गांव को जा रहे थे। उन्होंने देश की स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लिया और पहले पंजाब में विधान सभा के सदस्य, फिर उसके मंत्री और उसके बाद मुख्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

हम अपने इन मित्रों के निधन से बहुत दु:खी हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति अपना समवेदना संदेश भेजने में मुझसे सहमत होगी।

सदस्य अपना शोक प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।

The Member then stood in Silence for a short while.

राष्ट्रपति का अभिभाषण

PRESIDENT'S ADDRESS

अध्यक्ष महोदय : अब सचिव 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखें।

सचिव : मैं 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण* की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में प्रक्रिया

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT (PROCEDURE)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं आप से भाषा के मामले में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति देने की प्रार्थना करती हूं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं इसका समर्थन करता हूं परन्तु इसके सम्बन्ध में चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन करना उचित नहीं है।

---

*अभिभाषण का पाठ, हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में, लोक-सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण में दिया हुआ है।

*The text of the Address in both Hindi and English appears in the original version of Lok Sabha Debates.

अध्यक्ष महोदय : हमने 1962 में यह निर्णय किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन प्राप्त हुए सभी मामलों पर चर्चा अगले दिन होगी। इन मामलों पर चर्चा कल होगी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस मामले के बारे में कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया है और श्री कामत भी कहते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। इसलिये, हमने एक रीति अपनाई थी। यदि सदन इस में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है परन्तु कम से कम इस बार तो हमें इस रीति पर चलना ही चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि इस सम्बन्ध में सभा ने 1962 में निर्णय कर लिया है तो हमें सम्बन्धित नियम में संशोधन करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर भी विचार करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह निश्चित है कि मद्रास में उपद्रवों के बारे में स्थगन प्रस्ताव कल लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आज के सभी मामले कल लिये जायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में उठाया जा सकता है ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और 24 दिसम्बर, 1964 को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सरकारी प्रन्यासी (संशोधन) विधेयक, 1964

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1964

(3) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1964

(4) निरसक तथा संशोधक विधेयक, 1964

मैं गत सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और 24 दिसम्बर, 1964 को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1964

(2) खाद्य निगम विधेयक, 1964

(3) भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक, 1964
(4) गन्दे क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, 1964
(5) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1964
(6) करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) विधेयक, 1964
(7) अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, 1964
(8) खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, 1964
(9) मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1964
(10) बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक, 1964
(11) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1964

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

समवायों द्वारा दिये गये राजनैतिक अंशदानों को दिखाने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं 1964 के मध्य से 15 सितम्बर, 1964 की अवधि में समवायों द्वारा दिये गये राजनैतिक अंशदानों को दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०** 3756/65]

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा 6 जनवरी, 1965 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1965 (1965 का संख्या 1) की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3759/65]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियम

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन) : श्री मु० क० चागला की ओर से मैं विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

(एक) दिनांक 5 सितम्बर, 1964 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1255 में प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1964 [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 3757/65]

(दो) दिनांक 10 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3586 में प्रकाशित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1964। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 3758/65

केरल राज्य के सम्बन्ध में पहले जारी की गई उद्घोषणा को परिवर्तित करने वाली संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री हाथी की ओर से मैं

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केरल राज्य के सम्बन्ध में 10 सितम्बर, 1964 को जारी की गई उद्घोषणा को परिवर्तित करने वाली, संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा प्रकाशित करने वाली, दिनांक 14 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर. 119। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3760/65]

(2) केरल राज्य-विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल राज्य विधान मण्डल (अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखना) अधिनियम, 1965 (1965 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3761/65]

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम का 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) की लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 3762/65]

प्रैस परिषद् विधेयक
PRESS COUNCIL BILL
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं प्रैस परिषद विधेयक, 1963 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी
PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*
दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, 17 सितम्बर, 1964 के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ 4(33)/62–फाइनेंस (ई) की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ल० टी०** 3762/65]

प्रैस परिषद् विधेयक---जारी

PRESS COUNCIL BILL—*Contd.*

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं प्रैस परिषद विधेयक, 1963 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिए गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : FOREIGN EXCHANGE SITUATION

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, संसद के पहले दिन, मैं इस सभा की अनुमति से यह वक्तव्य दे रहा हूं, क्योंकि विदेशी मुद्रा की जो अत्यन्त कठिन स्थिति इस समय हमारे सामने मौजूद है उस से मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र अवगत कराना चाहता हूं । चालू राजस्व वर्ष में हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिजर्व) में प्रायः लगातार कमी हुई है । अप्रैल-सितम्बर के महीनों में कुछ कमी हो जाना, जबकि आयात सम्बन्धी प्राप्तियां प्रायः कम हो जाती हैं, हमारे शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेंट्स) की एक सामान्य बात है । लेकिन अप्रैल-सितम्बर 1964 में प्रारक्षित निधि में जो कमी हुई वह 1963 की इसी अवधि की कमी से प्रायः दुगनी थी । जो बात और भी चिन्ताजनक है वह यह कि प्रारक्षित निधि में कभी पिछले चार-पांच महीनों में जारी रही, जबकि इस निधि में सामान्यतः वृद्धि होनी चाहिए थी, ताकि निर्यात की कमी वाले अगले मौसम की हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें । 12 फरवरी 1965 को रिजर्व बैंक की विदेशी परिसम्पत्ति लगभग 79 करोड़ रुपये थी । जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, रिजर्व बैंक के लिए यह जरूरी है कि उस के पास सोने और विदेशी प्रतिभूतियों (सेक्यूरिटीज) के रूप में कम से कम 200 करोड़ रुपये की प्रारक्षित निधि बनी रहे । किन्तु वास्तविकता यह है कि रिजर्व बैंक इस आवश्यकता का कुछ ही समय के लिए पालन कर सकी है और वह भी तब, जब कि बैंक को वह सब सोना दिया गया जिसे सरकार ने वर्षों में प्राप्त किया था ।

प्रारक्षित निधि में हाल की कमी कई कारणों का परिणाम है । देश में अनाज की कमी और मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हमें उन्मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्सचेंज) से पहले की अपेक्षा अधिक अन्न और उर्वरक (फर्टिलाइजर) विदेशों से मंगाने पड़े और पड़ रहे हैं । रक्षा-सामग्री की आयात सम्बन्धी अदायगियां भी बढ़ रही हैं ; और हमें अपने विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में भी, पहले से अधिक अदायगियों के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है । यद्यपि निर्यात बढ़ रहा है, फिर भी उस में इस साल उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी 1963–64 में हुई थी, और यह विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों में पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है । निर्यात-वृद्धि के कुछ अंश का सम्बन्ध उन देशों से है जिनके साथ व्यापार और अदायगियां रुपयों में होती हैं जिसके कारण उन्मुक्त विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती । यह विश्वास करने के लिए भी कारण है कि दूसरी जगह ब्याज की दरें ऊंची होने से निर्यात से होने वाली आमदनी की रकमें धीरे धीरे आ रही हैं । इसलिए हो सकता है कि प्रारक्षित निधि की कमी का कोई अंश थोड़े समय के लिए हो और अगले महीनों में, अटकी हुई रकमें लौटने लगें, लेकिन, फिर भी, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि प्रारक्षित निधि घट कर जिस स्तर तक पहुंच गयी है और आने वाले महीनों में हमें जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी उसे देखते हुए सभी सम्भव उपायों के अवलम्बन में किसी तरह की देरी नहीं की जानी चाहिए ।

सबसे पहली बात यह है कि हमें अर्थ-व्यवस्था के मुद्रा-बाहुल्यकारी दबावों को कम करना है। मूल्यों में स्थिरता और शोधन सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति सुधारने के लिए राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी कठोरतम अनुशासन की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार के 1965–66 के बजट की घोषणा आज से दस दिन बाद की जायगी, इसलिए अभी मैं इसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता। लेकिन यह बात साफ है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए वित्तीय कार्रवाइयां इस ढंग से करनी होंगी कि मुद्रा बाहुल्य के प्रभाव से निश्चित रूप से बचा जा सके। मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा हूं और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज की गम्भीर परिस्थिति में मुझे उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।

जहां तक मुद्रा स्थिति का सम्बन्ध है, ब्याज की दरों में व्यवस्थित रूप से वृद्धि करने और मुद्रा प्रसार की गति को धीमा करने के लिए पिछले साल बहुत से उपाय किये गये हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक ने अभी अभी कुछ और उपायों की घोषणा की है। बैंक दर 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दी गयी है। इसके साथ ही उन दरों से सम्बन्ध रखने वाली शर्तें, जिन पर अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेने का अधिकार है, और भी कड़ी कर दी गयी हैं। बैंक उसी दशा में बैंक-दर से रुपया उधार ले सकेंगे जब उनका नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति (लिक्विडिटी) का अनुपात आज के 28 प्रतिशत के मुकाबले 30 प्रतिशत या इससे अधिक हो जायेगा। यदि किसी अनुसूचित बैंक की नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अनुपात 30 प्रतिशत से कम हो जायगा, तो हर एक प्रतिशत की कमी पर उसके कर्ज की ब्याज दर में 1/2 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी।

आर्थिक क्षेत्र की अन्य ब्याज दरों में मुनासिब फेरबदल करने के उपाय भी रिजर्व बैंक ने किये हैं। इस तरह बैंकों से, अपनी मियादी जमा की रकमों और बचत (सेविंग्स) बैंक की रकमों की ब्याज दरों में वृद्धि करने को कहा गया है बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली रकमों की ब्याज दरों की अधिकतम (सीलिंग) सीमा 9 प्रति शत से बढ़ा कर 10 प्रति शत कर दी गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को उधार दिये जाने वाले रुपये की ब्याज दर भी अब एक प्रति शत बढ़ जायगी। दूसरी ब्याज दरों में भी जिन में सरकार और दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये और लिये जाने वाले ब्याज की दरें शामिल हैं, मुनासिब फेरबदल किये जा रहे हैं। इन उपायों से, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का बिस्तार सीमित हो जाना चाहिए और पहले से अधिक बचतों से तथा दुर्लभ पूंजी साधनों के उपयोग में मितव्ययता की भावना को पहले की अपेक्षा अधिक प्रोत्साहन मिलने से मुद्रा-बाहुल्यकारी दबावों में काफी कमी हो जानी चाहिए। बढ़ते हुए उत्पादन की मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण और मुद्रा उपलब्धि के विस्तार पर सावधानी से दृष्टि रखेगा और उन अतिरिक्त उपायों से भी काम लेगा जो इस सम्बन्ध में आवश्यक होंगे।

विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति में, हमें भी आयात में अधिक से अधिक कमी करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। चालू छमाही के आयात के लिए विनिधान (एलोकेशन) में पहले ही कमी कर दी गयी है। फिर भी, आयात में और अधिक कमी करने के लिए, कुछ वित्तीय संयम की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं उन अधिकारों से लाभ उठाना चाहता हूं, जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध हैं। खाद्य पदार्थों, उर्वरकों, कीटनाशक द्रव्यों, पुस्तकों और परिवार नियोजन सम्बंधी सहायक वस्तुओं को छोड़कर आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर, आयातित वस्तु के मूल्य का 10 प्रति शत, नियंत्रणकारी सीमा-शुल्क लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की जा रही है। यह अधिसूचना तत्काल लागू हो जायगी।

इस सम्बन्ध में सभी सम्भव मितव्ययताओं के लिए, हम उन्मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर किये जाने वाले उन सभी आयातों के सम्बन्ध में फिर से विचार करना चाहते हैं जिन के लिए सरकार वचनबद्ध है । भविष्य में आयात सम्बन्धी विनिधान (एलोकेशन) सर्वथा उन उपायों की सफलता पर आधारित होंगे, जो हम इस समय अपनी प्रारक्षित निधि में शीघ्रता से सुधार करने के लिए कर रहे हैं ।

विश्व बैंक द्वारा संगठित भारत सहायता संघ (एड-इंडिया कन्सार्टियम) की बैठक, सहायता सम्बन्धी हमारी आगामी वर्ष की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए, अगले महीने के मध्य में पेरिस में होने वाली है । शोधन सम्बन्धी हमारी कठिन स्थिति और बाहर से मंगाये जाने वाले कच्चे माल और संघटकों (कम्पोनेण्ट) की लगातार तंगी को देखते हुए हम गैर-आयोजना सम्बन्धी आयातों का खर्च पूरा करने और दूसरे मार्गों से शोधन सन्तुलन को तात्कालिक सहायता पहुंचाने के लिए, संघ से अधिक से अधिक सहायता देने का अनुरोध करना चाहते हैं ।

पिछले दो तीन वर्षों से हमारा निर्यात कुछ संतोषजनक है । लेकिन अपनी आवश्यकताओं * देखते हुए, हमें निर्यात बढ़ाने के लिए और अधिक कठोर प्रयत्न करने पड़ेंगे । पहले से अधिक निर्यातों का मतलब ही घरेलू खपत और निवेश के मामले में कुछ त्याग करना है । किन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी कठिन स्थिति को देखते हुए, घरेलू आवश्यकताओं पर, भले ही वे कितनी ही आवश्यक क्यों न हों, अपेक्षाकृत अधिक निर्यात को तरजीह मिलनी ही चाहिए । इसलिए हम निर्यात सम्बन्धी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सभी सम्भव मार्ग ढूंढते रहेंगे । निर्यात सम्बन्धी आमदनी में लगातार वृद्धि करने के लिए जो भी अतिरिक्त उपाय आवश्यक हों उन से काम लेने के लिए हम अपनी समस्त निर्यात वृद्धि व्यवस्था पर फिर से विचार कर रहे हैं निर्यात के मुकाबले आयात के लाइसेंस भविष्य में अधिकतर निर्यात सम्बन्धी वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर दिये जायेंगे ।

जो उपाय हम इस समय कर रहे हैं उनका पूरा प्रभाव पड़ने में कुछ समय लगेगा । इस बीच हमें अपनी तात्कालिक कठिनाइयों से पार पाने के लिए बाहर से कुछ सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिए मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि मंडल के अपने कार्यकारी निदेशक (एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर) को इस बात का अधिकार दिया है कि वह इस संस्था से बड़े से बड़े संकटकालीन ऋण की मांग करे । मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से बता देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ऋण केवल अल्पकालीन कठिनाइयों के निवारण के लिए मिला करता है । चालू आयोजना की अवधि के प्रारम्भ में हमें इस निधि को बहुत बड़े बड़े ऋण चुकाने हैं जिनकी रकम 20 करोड़ डालर तक पहुंचती है । ये ऋण हमने चालू आयोजना अवधि के प्रारम्भ में लिये थे । जो भी ऋण हमें अब इस निधि से मिल सकेगा उसे भी अगले कुछ वर्षों में अदा करना पड़ेगा । इसलिए अधिक से अधिक राजस्व और मुद्राविषयक अनुशासन तथा जबर्दस्त निर्यात-प्रोत्साहन और आयातों में किफायत के द्वारा हमें अपने शोधन संतुलन को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न वर्षों जारी रखने पड़ेंगे और वास्तव में, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उन्हें समय समय पर जोरदार भी बनाना होगा । शोधन-सन्तुलन की स्थिति को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर सुधारने के सतत प्रयत्नों द्वारा ही हम भविष्य में, विदेशी मुद्रा की उस जटिल परिस्थिति से बच सकते हैं जिसका हमें पिछले दिनों सामना करना पड़ा है और अब एक बार फिर कर रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य, विदेशी मुद्रा में अदायगी करने की अर्थ-व्यवस्था की क्षमता को बनाये रखने में सरकार को यथाशक्ति सहयोग देंगे ।

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में

RE : PRESIDENT'S ADDRESS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति को कुछ वाक्यांशों पर रुकते हुये देख कर हमें दुख हुआ और शायद वह कुछ शब्द छोड़ भी गये। बेहतर यह था कि राष्ट्रपति का अंग्रेजी में अभिभाषण भी गत वर्ष की तरह इस बार पढ़ा जाता। मेरा आप से निवेदन है कि हमें यह बताया जाय जिस तरह राष्ट्रपति जी ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया क्या उसे संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार दिया गया अभिभाषण समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें कोई विवादास्पद बात नहीं उठानी चाहिये। कम से कम आज के दिन हमें असहमत नहीं होना चाहिये। इस मामले को श्री कामत अभिभाषण पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को और आगे जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को और आगे जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री स्वर्ण सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 18 फरवरी, 1965/माघ 29 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, the 18th February, 1965/Magha 29, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2366 (Ai) LS—9-6-65—600.